Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding relaxation of age limit and application fees for Economically Weaker Sectic Candidates in the competitive examinations.

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारी सेवा में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।...(व्यवधान) विदित है कि अनुसूचित जनजाि अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में फीस में छूट के साथ ही आ सीमा में भी छूट प्रदान की जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतियोगी छात्रों और युवाओं को य सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई है।

महोदय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आने वाले अधिकतर छात्र और युवा ग्रामीण पृष्ठभू एवं दुर्बल आय वर्ग के परिवारों से आते हैं। इन्हें स्वयं को वर्तमान की कड़ी प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आपको तैयार करने में ज्यादा समय देना पड़ता है।

जब तक प्रतियोगी अपने आप को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर पाते हैं, तब तक आयु व सीमा के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर हो जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वर्ग के प्रतियोगि की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रदेश जैसे गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर द्वारा राज सरकार की सेवाओं में इस वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 वर्ष तक आयु में छूट दी गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में प्रतियोगियों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हु माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि युवाओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए देश और सभी प्रदेशों में ऐ प्रतियोगियों की आयु सीमा एवं फीस में छूट प्रदान करने की कृपा की जाए। धन्यवाद।

At this stage, S/Shri Adhir Ranjan Chowdhury, T.R. Baalu, Dr. Farooq Abdullah and some othe hon. Members left the House.

माननीय सभापति : श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर जी।

श्री दिनेश चन्द्र यादव जी।